16/9/25	वकील वादी उप0। हाजिर अंतिम डिक्री लिखा जाता है। डिक्री [illegible] पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली [illegible] पत्रावली फैसला शुमार [illegible] नेक्स्ट के कक्ष [illegible] दाखिल दफ्तर हो [illegible] सूचना [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:36:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1. अरूण कुमार सिंह आयु 41 साल पुत्र उधौ सिंह
2. वरूण कुमार सिंह आय 39 साल पुत्र उधौसिंह
   जाति राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. पीयुष बसंल पुत्र नरेश बंसल जाति महाजन आयु 34 साल निवासी होली खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली
2. श्रीमती सुनीता पत्नि योगेश कुमार आयु 36 साल जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली
3. राजकुमार सिंह पुत्र स्व. श्री नेकम सिंह आयु 79 साल जाति राजपूत निवासी बिनेगा तहसील मासलपुर जिला करौली जरिये मुख्त्यार उधौसिंह पुत्र नेकमसिंह राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली
4. तहसीलदार साहब, करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 39/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री रामजीलाल अग्रवाल, एडवाकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 6960/4 रकबा 12 बिस्वा कस्बा करौली वादी नंबर 1 के हिस्से खातेदारी में रहेगी एवं खसरा नंबर 6960/3 रकबा 12 बिस्वा कस्बा करौली वादी नंबर 2 वरूण कुमार सिंह के खातेदारी में रहेगी एवं खसरा नंबर 6960/2 रकबा 12 बिस्वा कस्बा करौली प्रतिवादी नंबर 2 के हिस्से खातेदारी में रहेगी एवं खसरा नंबर 6960/1 रकबा 13 बिस्वा प्रतिवादी नंबर 1 के हिस्से खातेदारी में रहेगी एवं खसरा नंबर 6960/5 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली प्रतिवादी नंबर 3 के हिस्से खातेदारी व कब्जे में रहेगी। बंटवारा मय नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगे। प्रतिवादी नंबर 4 इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 के हक में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग–अलग खातेदारी इन्द्राज अमल करें। तदानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज
बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16/9/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2025.11.07 10:36:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाह डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना अधिकारी (RAS)

मु0न0:–39 / 25 तारीख रजु:–03.09.2025

उनवान

1. अरूण कुमार सिंह आयु 41 साल पुत्र उधौ सिंह
2. वरूण कुमार सिंह आय 39 साल पुत्र उधौसिंह
   जाति राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. पीयुष बसंल पुत्र नरेश बंसल जाति महाजन आयु 34 साल निवासी होली खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली
2. श्रीमती सुनीता पत्नि योगेश कुमार आयु 36 साल जाति महाजन निवासी भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली
3. राजकुमार सिंह पुत्र स्व. श्री नेकम सिंह आयु 79 साल जाति राजपूत निवासी बिनेगा तहसील मासलपुर जिला करौली जरिये मुख्त्यार उधौसिंह पुत्र नेकमसिंह राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी करौली
4. तहसीलदार साहब, करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::– दिनांक :– 16/9/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके कस्बा करौली आराजी खसरा नंबर 6960 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा बारानी अब्बल हल्का नंबर 10 कस्बा करौली में स्थित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 संयुक्त शामलाती खातेदार काश्तकार काबिज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपनी सहमति से उक्त आराजी का बंटवारा मौके पर दिनांक 31.03.2023 से कर लिया है। जिसका नजरी नक्शा प्रमाण में प्रस्तुत है। नक्शों के मुताबिक सफेद व पीली आराजी वादीगण की एवं लाल रंब आराजी प्रतिवादी संख्या 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem I
Date: 2025.11.07 10:36:5
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

की सहमति से रखी गयी है और इसी प्रकार मौके पर काबिज चले आ रहे है और बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्से की आराजी को लेविल कर काबिज काश्त अपने–अपने खर्चे पर बनाया है और वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त विवादित आराजीयात में वादीगण का 1/6–1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 एवं प्रतिवादी सख्या 3 का 1/3 हिस्सा रहा है। इसी प्रकार संयुक्त रूप से काबिज है और काश्त कर रहे है। जिसका बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अदालत हाजा द्वारा बंटवारा कराया जाकर बंटवारे अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कराने प्रतिवादी संख्या 4 के जरिये कराने के अधिकारी है। वादीगण अरूण कुमार सिंह व वरूण कुमार सिंह ने अपने हिस्से की आराजी 2/3 में से 1/3 आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पीयूष बंसल व श्रीमती सुनीता महाजन को विक्रय दिनांक 28.09.2025 को कर मुताबिक पूर्व बंटवारा दोनो वादीगण ने दोनों प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कब्जा संभलवा दिया और पूर्व बंटवारा के अनुसार दोनों प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मौके पर काबिज है। मुताबिक नजरी नक्शा प्रतिवादी राजकुमार सिंह हिस्सा ए वादी अरूण कुमार का बी प्रतिवादी सुनीता का सी एवं वादी अरूण कुमार का डी तथा पीयूष बंसल का ई मार्क से दर्शाया गया है। आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं आया। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आज भी उक्त आराजी शामिल में चली आ रही है। चूंकि वक्त वयनामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मुताबिक नजरी नक्शा पूर्व बंटवारा के अनुसार कब्जा प्राप्त करना स्वीकार किया तथा मौके पर कब्जा वादीगण से प्राप्त कर लिया लेकिन दिनांक 1.9.2025 को उक्त बंटवारा के मुताबिक कब्जा बनाये रखने के लिए इंकार करने लग गये [illegible] वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान डालने की [illegible] इसलिए बंटवारा हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है और बंटवारे के अनुसार पक्षकारान के बीच राजस्व रिकॉर्ड में भी इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। जिससे बंटवारा के अनुसार पक्षकारों के बीच

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:36:53
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहने में कोई विवाद पैदा ना हो। अंत में दावा वादी डिक्री कराने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण ने स्वंय न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर दावा डिक्री किये जाने सहमति दी जिसे आदेशिका पर दर्ज कर अपने हस्ताक्षर किये। तहसीलदार करौली से बंटवारा स्कीम तलब की गई। बंटवारा स्कीम दिनांक 12.09.2025 को प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष द्वारा बंटवारा स्कीम पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम सहमति से अंतिम डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 6960/4 रकबा 12 बिस्वा कस्बा करौली वादी नंबर 1 के हिस्से खातेदारी में रहेगी एवं खसरा नंबर 6960/3 रकबा 12 बिस्वा कस्बा करौली वादी नंबर 2 वरूण कुमार सिंह के खातेदारी में रहेगी एवं खसरा नंबर 6960/2 रकबा 12 बिस्वा कस्बा करौली प्रतिवादी नंबर 2 के हिस्से खातेदारी में रहेगी एवं खसरा नंबर 6960/1 रकबा 13 बिस्वा प्रतिवादी नंबर 1 के हिस्से खातेदारी में रहेगी एवं खसरा नंबर 6960/5 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली प्रतिवादी नंबर 3 के हिस्से खातेदारी व कब्जे में रहेगी। बंटवारा मय नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगे। प्रतिवादी नंबर 4 इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 के हक में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग–अलग खातेदारी इन्द्राज अमल करें। तदानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....16/9/25.......... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:36:5
Reason: SelfAttested